



भारतीय वायुयान वधायक वधियक 2024

प्रलमिस के लयि:

[संसद](#), [नागरकि वमिनन महानदिशालय](#), [नागरकि वमिनन सुरक्षा बयुरो](#), [संवधान का अनुच्छेद 14](#), [उडे देश का आम नागरकि](#), [प्रत्यक्ष वदिशी नविश](#), [डजि यात्रा](#)

मेन्स के लयि:

भारतीय वायुयान वधायक वधियक, 2024, वमिनन में स्थरिता, भारत का वमिनन क्षेत्र

[स्रोत: द हद्वि](#)

चर्चा में कयों?

हाल ही में, [संसद](#) ने भारतीय वायुयान वधायक (BVV) वधियक, 2024 पारति कयि, जसिका उद्देश्य [वमिन अधनियिम 1934](#) (अंतमि बार 2020 में [संशोधति](#)) को प्रतस्थापति करना और वमिनन क्षेत्र में बडे सुधार लाना है।

भारतीय वायुयान वधायक वधियक, 2024 की मुख्य वशेषताएँ क्या हैं?

- **वमिन अधनियिम 1934:** वधियक में वमिन अधनियिम, 1934 के प्राधानों को बरकरार रखा गया है, जसिके तहत [नागरकि वमिनन महानदिशालय \(DGCA\)](#), [नागरकि वमिनन सुरक्षा बयुरो \(BCAS\)](#) और [वमिन दुर्घटना जाँच बयुरो \(AAIB\)](#) की स्थापना की गई थी।
 - ये नकियाय क्रमशः सुरक्षा, संरक्षा और दुर्घटना जाँच की देखरेख करना जारी रखेंगे।
 - वधियक में DGCA या BCAS के आदेशों के वरिद्ध केंद्र सरकार के समक्ष अपील करने की व्यवस्था की गई है, जो अंतमि प्राधिकारी होगा।
- **एकल खडिकी मंजूरी:** BVV वधियक, 2024 रेडियो टेलीफोन ऑपरेटर प्रतबंधति (RTR) प्रमाणपत्रों के प्रबंधन की ज़मिमेदारी दूरसंचार वभाग (DoT) से DGCA को सौपता है।
 - इस परविरतन का उद्देश्य वमिनन क्रमयिों के लयि लाइसेंसिग प्रक्रया को सरल बनाना तथा दूरसंचार वभाग की RTR परीक्षाओं में भ्रष्टाचार को दूर करना है, जसिसे DGCA की नगिरानी में अधिक पारदर्शति सुनश्चिति होगी।
 - वैमानिकी उद्देश्यों के लयि RTR प्रमाणन या RTR (A) एक लाइसेंस है जो **कसिी वयक्ती की वमिन पर रेडियो संचार उपकरण का उपयोग करने की योग्यता को प्रमाणति करता है**, मुख्य रूप से हवाई यातायात नयित्रण संचार के लयि। यह भारत में पायलटों के लयि अनविर्य है।
- **वमिन डज़ाइन का वनियिमन:** वधियक DGCA को न केवल वमिन के वनिरिमाण, मरममत एवं रखरखाव को वनियिमति करने का अधिकार देता है, बल्कि डज़ाइन और उन स्थानों को भी वनियिमति करने का अधिकार देता है जहाँ वमिन डज़ाइन कयि जा रहे हैं।
 - इन नई शक्तयिों के साथ, DGCA भारत में वमिनन क्षेत्र की अधिकि व्यापक और कुशल नगिरानी सुनश्चिति कर सकेगा।
- **मध्यस्थ की नयुक्ति:** वधियक केंद्र सरकार को हवाई अड्डों के नकिट भूमि अधगिरहण से संबंधति मुआवजा वविदों को सुलझाने के लयिकतरफा मध्यस्थ (ऐसा वयक्ती जो [उच्च नयायालय के नयायाधीश](#) के रूप में नयुक्ति के लयि योग्य हो या रहा हो) नयुक्ति करने की अनुमति देता है।

BVV वधियक, 2024 के संबंध में चतिाएँ क्या हैं?

- **DGCA की स्वतंत्रता का अभाव:** वधियक DGCA को स्वतंत्र नयिमकों के वपिरित प्रत्यक्ष सरकारी नयित्रण में रखता है तथा वधियक DGCA प्रमुख की योग्यता या कार्यकाल को नरिदष्टि नहीं करता है, जसिके परणामस्वरूप हतिों के टकराव की संभावना हो सकती है तथा केंद्र सरकार का प्रभाव पड सकता है।
- **मध्यस्थता प्रक्रया के मुद्दे:** मुआवजा वविदों के लयि मध्यस्थ की एकतरफा नयुक्ति [संवधान के अनुच्छेद 14](#) के तहत समानता के अधिकार का उल्लंघन हो सकती है कयोंकि यह मध्यस्थता प्रक्रया की नषिपक्षता और स्वतंत्रता को कमज़ोर करती है।
 - [सर्वोच्च नयायालय](#) ने कहा कि नषिपक्षता संबंधी चतिाओं के कारण ऐसी नयुक्तयिों **समानता के अधिकार का उल्लंघन हो सकती हैं**।

- वधियक को **मध्यस्थता एवं सुलह अधिनियम, 1996** से छूट देने से सरकार मानकीकृत मध्यस्थता प्रक्रियाओं को दरकिनार करने का जोखिम उठा रही है, जिससे न्यायनिरणयन में असंगतियाँ उत्पन्न हो सकती हैं।
- **दंड की रूपरेखा:** इस वधियक में **केंद्र सरकार को वमिनन अपराधों के लिये दंड नरिधारति करने की अनुमति दी गई है**, जिससे नश्चिति वधिकि दशानरिदेशों के स्थान पर कार्यपालकि के वविकाधकिर के कारण संभावति असंगति और नषिपक्षता के संबंध में चतिाएँ उत्पन्न होती हैं।

माध्यस्थम् और सुलह अधिनियम, 1996

- माध्यस्थम् न्यायालय प्रणाली के बाहर पक्षों के वविादों का समाधान करने की वधि है। यह सुलह और मध्यस्थता के साथ-साथ **एक्कैकल्पकि वविाद समाधान (ADR) वधि** है।
- भारत में मध्यस्थता की प्रक्रिया **माध्यस्थम् और सुलह अधिनियम, 1996 (2015, 2019 और 2021 में संशोधति)** द्वारा शासति और वनियमति होती है।
 - 2019 संशोधन अधिनियम का उद्देश्य मध्यस्थ संस्थाओं की ग्रेडिंग और मध्यस्थों को मान्यता प्रदान करने हेतु **भारतीय मध्यस्थता परषिद (ACI)** की स्थापना करना था। हालाँकि, औपचारकि रूप से ACI की स्थापना अभी नहीं हुई है और इसका संचालन भी नहीं हुआ है।

वमिनन क्षेत्र के संबंध में BVV वधियक, 2024 के क्या नहितार्थ हैं?

- **सुव्यवस्थति लाइसेंसिंग:** RTR प्रमाणन को DGCA के नरित्रण में लाने का उद्देश्य प्रमाणन प्रक्रिया में भ्रष्टाचार का उन्मूलन और इसमें होने वाली देरी को कम करना है।
- **बेहतर नगरिानी:** वमिन डज़ाइन को वनियमति करने और दंड अधरिपति करने की वसितारति शक्तियों से सुरक्षा और अनुपालन में सुधार की संभावना है।
- **नयामक चुनौतियाँ:** DGCA की स्वतंत्रता का आभाव और सरकारी केंद्रीकरण से संबंधति चतिाएँ नषिपक्षता एवं पारदर्शति को प्रभावति कर सकती हैं।
- **नज़ी एयरलाइनों पर वनियामक बोझ:** संकटपूर्ण उड़ान जैसे अपराधों के लिये कठोर दंड अधरिपति कथिा गया है, जिसमें एक करोड़ रुपए जुर्माना और कारावास का प्रावधान है, हालाँकि दंड अधरिपति करने की वविकाधीन शक्ति चतिा उत्पन्न करती है।
- **नई अनुपालन आवश्यकताओं से नज़ी ऑपरेटरों की लागत में बढ़ोतरी हो सकती है।**

भारत के वमिनन उद्योग का परदृश्य क्या है?

- **यात्रियों की संख्या में तीव्र वृद्धि:** वतित वर्ष 23 में घरेलू हवाई यातायात में यात्रियों की संख्या **306.79 मिलियन** थी, जो कथित वर्ष की तुलना में **13.5% अधिक** है, जबकि अंतर्राष्ट्रीय यातायात में **22.3%** की वृद्धि के साथ इसमें यात्रियों की संख्या **69.64 मिलियन** रही।
 - अमेरिका और चीन के बाद भारत तीसरा सबसे बड़ा घरेलू वमिनन बाज़ार है।
- **बुनियादी ढाँचे का वसितार:** वर्ष 2014 में क्रयिशील हवाई अड्डों की संख्या 74 थी जो 2024 में बढ़कर 157 हो गई है तथा 2047 तक इनकी संख्या 350-400 करने का लक्ष्य नरिधारति कथिा गया है।
- **बेड़े का वसितार:** भारतीय वमिनन कंपनियों ने वर्ष **2023 में 112 नए वमिन शामिल कथिे**, जिससे कुल वमिनों की संख्या **771** हो गई, तथा वर्ष 2027 तक **1,100 तक पहुँचने की योजना** है।
- **बाज़ार और राजस्व वृद्धि:** भारत का वमिनन राजस्व वतित वर्ष 24 में 15-20% और वतित वर्ष 25 में 10-15% बढ़ने की उम्मीद है।
 - माल यातायात में स्थरि वृद्धि देखी गई, वतित वर्ष 24 में घरेलू माल दुलाई **1.32 मिलियन टन** और अंतर्राष्ट्रीय माल दुलाई **2.04 मिलियन टन** रही।

AVIATION



MARKET SIZE

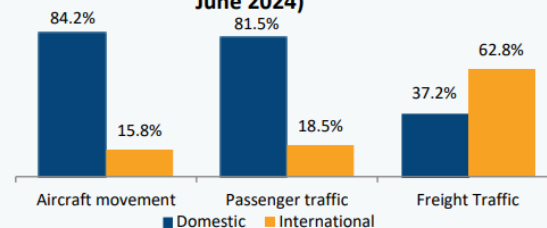
Indian Aviation Sector in FY24

Scheduled Airlines: Distance Flown million km: 969.63	Non-scheduled airlines in operation: 103 (FY23 as of January 2023)
Air Passengers traffic (million): 376.43 (FY24)	Freight Handled (MMT): 3,365.65 (FY24)
Number of Aircrafts: 771 (as of December 31, 2023)	Number of Operational Airports: 148 (2023)



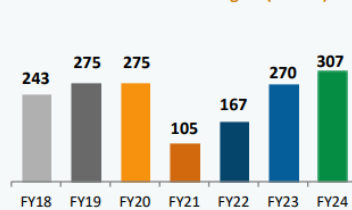
SECTOR COMPOSITION

Activity In AAI Airports - Share (%) – FY25 (Until June 2024)

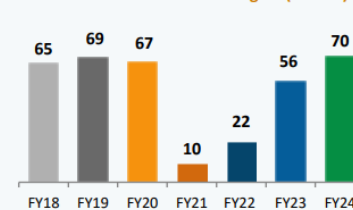


KEY TRENDS

Growth in Domestic Passengers (million)



Growth in International Passengers (million)



GOVERNMENT INITIATIVES



UDAN



100% FDI for Greenfield Projects



Open Sky Policy



ADVANTAGE INDIA

- Robust demand:** Rising working group and widening middle-class demography is expected to boost demand. India has envisaged increasing the number of operational airports to 220 by 2025. India will require over 2200 aircraft by 2042.
- Opportunities in MRO:** By 2028, the MRO industry is likely to grow over US\$ 2.4 billion from US\$ 800 million in 2018. Land allotment for entities setting up MRO facilities in India has been revised to a period of 30 years in September 2021, from the current 3-5 years as the government aims to make India a 'Global MRO Hub.'
- Policy support:** As per the present FDI Policy, 100% FDI is permitted in scheduled Air Transport Service/Domestic Scheduled Passenger Airline (Automatic upto 49% and Government route beyond 49%). However, for NRIs 100% FDI is permitted under automatic route in Scheduled Air Transport Service/Domestic Scheduled Passenger Airline..
- Increasing Investments:** Six international airports completed under PPP. The sector is expected to witness investments worth US\$ 25 billion by 2027. Growing private sector participation through the Public-Private Partnership (PPP). The number of PPP airports is likely to increase from five in 2014 to 24 in 2024. The Ministry of Civil Aviation is developing public-private partnership (PPP) modalities for the privatisation of 25 airports under the National Monetization Pipeline.

वमिानन उद्योग से संबंधित भारत की पहल क्या हैं?

नीतिगत हस्तक्षेप:

- राष्ट्रीय नागरिक वमिानन नीति 2016: **NCAP 2016** का उद्देश्य वहनीयता और कनेक्टिविटी को बढ़ाकर, व्यापार में आसानी, वनियमन, सरलीकृत प्रक्रियाओं और ई-गवर्नेंस को बढ़ावा देकर आम जनता के लिये उड़ान को सुलभ बनाना है।
 - क्षेत्रीय संपर्क योजना-उड़ें देश का आम नागरिक (उड़ान), NCAP 2016 का एक प्रमुख घटक है।
- उड़ान-RCS योजना: इसका उद्देश्य क्षेत्रीय हवाई संपर्क में सुधार करना है; 519 मार्गों पर परिचालन शुरू किया गया और 13 मिलियन से अधिक यात्रियों को लाभ मिला।

- **FDI नीति:** केंद्र सरकार ने हवाई परिवहन और रखरखाव, मरम्मत और ओवरहाल (MRO) जैसे विमानन क्षेत्रों में **100% प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI)** की अनुमति दी है।
- **बुनियादी ढाँचे का आधुनिकीकरण:** **डिजी यात्रा** और **NABH नरिमाण** जैसी पहल परिचालन दक्षता और यात्री अनुभव को बढ़ाती हैं।
 - **21 ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा परियोजनाओं** को मंजूरी दी गई है, जिनमें से 11 वर्ष 2023 तक चालू हो जाएंगी (**डोनी पोलो हवाई अड्डा, ईटानगर, अरुणाचल प्रदेश भारत का पहला ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा है**)।
 - ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे, अवसिति भूमि पर शुरू से निर्मित विमानन सुविधाएँ हैं, जिन्हें पर्यावरणीय प्रभाव को न्यूनतम करने के लिये पर्यावरण अनुकूल विशेषताओं के साथ डिजाइन किया गया है।
- **स्थिरता प्रयास:** दिल्ली और मुंबई जैसे हवाई अड्डों ने **लेवल 4+ कार्बन प्रमाणन** हासिल किया।
 - 73 हवाई अड्डे **सौर ऊर्जा** के साथ पूरी तरह से **हरित ऊर्जा** का उपयोग करते हैं, और नए ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे **शुद्ध-शून्य उत्सर्जन** को प्राथमिकता देते हैं।

आगे की राह

- **पारदर्शी मध्यस्थता ढाँचा:** अनुच्छेद 14 के तहत समानता के संवैधानिक अधिकार को बनाए रखने के लिये मुआवजा विवादों के लिये स्वतंत्र तृतीय पक्ष की नगिरानी शुरू करना।
- **नियामक स्वतंत्रता को मज़बूत करना:** नष्टिपक्षता और विश्वसनीयता बढ़ाने के लिये **DGCA** को एक स्वायत्त नियामक निकाय के रूप में कार्य करने हेतु पुनर्गठित करने पर विचार करना।
- **सुसंगत दंड ढाँचा:** विमानन अपराधों से संबंधित दंड के लिये एक स्पष्ट और सुसंगत ढाँचा विकसित करना, कार्यकारी वक् के दायरे को कम करना और नष्टिपक्षता सुनिश्चित करना।
- **समावेशी परामर्श प्रक्रिया:** एयरलाइनों, विमानन कर्मियों और आम जनता सहित हतिधारकों के साथ मलिकर फीडबैक एकत्र करना और चर्चाओं का समाधान करना। इससे आम सहमत बनाने और यह सुनिश्चित करने में मदद मिल सकती है कि विधायक के प्रावधान व्यावहारिक और प्रभावी हैं।

????? ???? ?????:

प्रश्न: भारतीय वायुयान विधायक 2024 के महत्व और भारत के विमानन क्षेत्र पर इसके प्रभावों पर चर्चा कीजिये।

UPSC सविलि सेवा परीक्षा, वगित वर्ष के प्रश्न

?????

प्रश्न: सार्वजनिक-नजी भागीदारी (PPP) मॉडल के अधीन संयुक्त उपक्रमों के माध्यम से भारत में विमान पत्तनों के विकास का परीक्षण कीजिये। इस संबंध में प्राधिकरणों के समक्ष कौन-सी चुनौतियाँ हैं? (2017)